

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

इमरती देवी आदि

बनाम

राजस्थान सरकार आदि

तारीख हुक्म

किस्म मुकदमा- अपील

प्रकरण संख्या-63/2020

जीसीएमएस प्र0स0- 2020/00063

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हए

24.11.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट व अपीलांट को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु ना तो वकील अपीलांट हाजिर आये तथा ना ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका दिनांक 09.11.2020 द्वारा जैर प्रकरण भूमि ग्राम रायावाली के खसरा न. 127/3 में 1.885 है0 की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बबल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

